FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

हनुमानराम वगै. बनाम भंवराराम वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व अपील 111, 128 नं. 233 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/10/2018	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू ~~राजस्व अधिनियम~~ के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~ /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/11/2018 को पेश हो।	(हस्ताक्षर)
14/11/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 18/12/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18/12/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 20/02/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:10:03 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म
11/06/19

20/02/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-2 से 28 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त तथा विपक्षी संख्या-1 के नोटिस पर मौत होना लिखा गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इस्तवा होकर आगामी दिनांक 14/05/19 को पेश हो।

14/05/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-2 से 28 बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई विपक्षीगण संख्या-2 से 28 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षी संख्या-2 से 28 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षी संख्या-1 की फौतगी सूचना मय संशोधित शीर्षक पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तथा विपक्षी संख्या-1 के कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये गये। प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षी संख्या-1 के कायम मुकाम 1/1 से 1/7 के नोटिस पेश किये गये जो जारी होकर पत्रावली दिनांक-27/05/19 को पेश हो।

27/05/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-1/1 से 1/7 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या-1/1 से 1/7 बावजूद तामील अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः [illegible] आगामी दिनांक 11/06/19 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:10:03 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/06/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 22/07/19 को पेश हो। [initials]	
22/07/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 07/10/19 को पेश हो। [initials]	
07/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपार्थीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी [illegible] [illegible] दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/01/2020 को पेश हो। [initials]	
22/01/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपार्थीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 18/05/2020 को पेश हो। [initials]	
18/05/2020	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड 2019 के चलते कोर्ट नहीं किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 2[illegible] [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:10:03 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/06/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी व विपक्षीगण के खातेदारी खेत लेन देन आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतो के बिच जो पुरानी मेढे व कोठे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियो की वजह से बिखर गये है। खेत के सेतो का सही ज्ञान नहीं होने से प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा खेत के सेतो को लेकर तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेतो का सही ज्ञान करने हेतु नक्शेबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नक्शेबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नक्शेबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नक्शेबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बापुड़ को कमिशनर व सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नक्शेबंदी मौके पर कमिशन शुल्क जमा करवाकर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली मिसल शुमार हो। दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:10:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 459 दिनांकः— 24/6/2020

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

1. हनुमानराम पुत्र तुलछाराम वगैरा जाति जाट निवासी बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. जेताराम पुत्र भीखाराम वगैरा जाति जाट निवासी बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 339 / 2018

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा रामपुरा व बाटाडू पटवार हल्का बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1571 रकबा 21.13 बीघा मौजा रामपुरा व खेत खसरा संख्या 1303, 1307 रकबा क्रमशः 106.05, 42.11 बीघा मौजा बाटाडू की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / दिनांकः— 24/6/2020

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री हनुमानराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री जेताराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

sd/-

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:10:03 IST
Reason: SelfAttested